



2026:AHC:129124

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र 9405 वर्ष 2026

पीयूष शिवहरे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अब्दुल मजीद, गुंजन यादव, सुफिया साबा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: फ़ख़्रुज्जमान, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय,

1. आवेदक के अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आरोपी-आवेदक **पीयूष शिवहरे** की ओर से दायर की गई है। इसमें आपराधिक वाद संख्या 13/2025 (धारा 352, 118(1), 126(2), 110, 115(2), 351(2) और 109 बीएनएस, थाना- कोतवाली कोंच, ज़िला- जालौन) में विचारण के दौरान ज़मानत पर रिहाई की मांग की गई है।
3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-आवेदक ने सह-आरोपी बृजबिहारी शिवहरे और कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर पीड़ित को चोट पहुंचाई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि उसने प्राथमिकी में बताए गए किसी भी अपराध को नहीं किया है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फंसाया गया है। उनका यह भी कहना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि एक प्रतिवाद (आपराधिक वाद संख्या 17/2025) भी दर्ज है, जो बीएनएस की धाराओं 115(2), 351(2) और 118(2) के तहत है, जिसमें मोहित, अतुल, संतराम कुशवाहा और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक के हाथ में भी गंभीर चोट आई है और इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें लगी हैं। उनका यह भी कहना है कि इस मामले में एक स्वतंत्र गवाह विष्णु ने अपने बयान में कहा है कि घटना के दौरान आरोपी-आवेदक की उंगली को किसी व्यक्ति ने काट लिया था। घायल अतुल कुशवाहा की चिकित्सीय रिपोर्ट में शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से (सिर) पर केवल एक चोट दर्ज की गई है, इसलिए अभिलेख में मौजूद चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर घायल अतुल पर बार-बार वार करने का आरोप विश्वसनीय नहीं है। इस घटना में न तो किसी धारदार हथियार से चोट लगी और न ही कोई धारदार हथियार बरामद हुआ। साथ ही, आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.01.2026 से जेल में है। इसके अलावा, एजीए के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है। उनका कहना है कि वाद के पूरा होने में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने पर उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की मांग की गई है।

5. इसके उलट, विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी-आवेदक ने घायल व्यक्ति के शरीर के अहम हिस्से (सिर) पर चोट पहुंचाई थी और डॉक्टर के मुताबिक, चोट गंभीर किस्म की थी। उन्होंने आगे कहा कि विचारण से पहले के चरण में आवेदक के बेगुनाह होने का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही गतिविधियों में शामिल होगा और जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करेगा; हालांकि, उन्होंने यह बात मानी कि आरोपी पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ आपराधिक वाद संख्या 17/2025 के तहत प्रतिवाद दर्ज किया गया है और आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आरोपी-आवेदक के तर्कों पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि प्राथमिकी में आरोपी-आवेदक का नाम सह-आरोपी बृजबिहारी शिवहरे और कुछ अज्ञात लोगों के साथ है, लेकिन प्राथमिकी में कहा गया है कि चोट किसी धारदार हथियार से लगी है, जबकि चोट की रिपोर्ट के अनुसार, चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थी। इसका मतलब है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप चिकित्सीय साक्ष्य/चोट की रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं। अतुल कुशवाहा की चिकित्सीय रिपोर्ट में उनके सिर पर केवल एक गंभीर चोट (चोट संख्या 2) दर्ज की गई थी। यह माना गया है कि आरोपी पक्ष ने शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 351(2) और 118(2) के तहत आपराधिक वाद संख्या 17/2025 दर्ज कराया है। अभिलेख में आरोपी-आवेदक पीयूष शिवहरे की चोट की रिपोर्ट भी मौजूद है, जिसमें चौथी उंगली के आखिरी पोर के कटकर अलग होने की बात दर्ज है। यह माना गया है कि इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें आईं। सरकारी अधिवक्ता (एजीए) के तर्क के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.01.2026 से जेल में है। वाद के पूरा होने में अनिश्चितता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट 2024 (एससी) लॉसूट 677** मामले में प्रस्तर 53, और **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** व **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उक्त अपराध में शामिल आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार स्वीय बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक को यह वचन-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य पेश करने के लिए तय तारीखों पर सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने तय की गई हर तारीख पर, या तो खुद या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, मौजूद रहना होगा।
- (iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा जो (i) वाद शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) आरोपी का बयान दर्ज करने (जिसमें उसे अपने खिलाफ साक्ष्यों में सामने आई परिस्थितियों के बारे में खुद बताना होगा) के लिए तय की गई हैं।
- (v) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार सख्ती से उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।
7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत निरस्त करने का आधार बन सकता है।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

जून 25, 2026

अंकित.